पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 01.07.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

थाना कबरई की पुलिस टीम ने 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक व जनपदवासियों में सुरक्षित परिवेश की भावना जागृत किये जाने के उद्देश्य से जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक-30.06.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कबरई श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गठित व0उ0नि0 मलखान सिंह मय हमराह कां0 शैलेन्द्र सिंह व म0आ0 अनामिका देवी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 117/25 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त राहुल नामदेव पुत्र संजय नामदेव उम्र 20 वर्ष निवासी मु0 किदवई नगर थाना कबरई जनपद महोबा को पचपहरा मोड़ के पास थाना कबरई जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. व0उ0नि0 मलखान सिंह
2. कां0 शैलेन्द्र सिंह
3. म0आ0 अनामिका देवी

गिरफ्तार अभियुक्त-

राहुल नामदेव पुत्र संजय नामदेव उम्र 20 वर्ष निवासी मु0 किदवई नगर थाना कबरई जनपद महोबा

महोबा पुलिस

थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र की रोकथाम एवं अवैध शस्त्र धारक अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में आज दिनांक- 01.07.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त राजकुमार यादव पुत्र स्व0 बादाम सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम छतेसर थाना पनवाड़ी जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए ग्राम धवार के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 106/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह
2. हे0का0 दिनेश कुमार
3. कां0 तेज सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजकुमार यादव पुत्र स्व0 बादाम सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम छतेसर थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 01.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

- **पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के थानो की एण्टी रोमियों टीमों द्वारा चलाया गया 'मिशन शक्ति' एवं 'शक्ति दीदी' अभियान।**
- **महिलाओं/बालिकाओं से वार्ता कर पंपलेट आदि के माध्यम से विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों एवं महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए किया जागरुक।**

महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान, स्वावलमंबन, सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 01.07.2025 को मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा के थाना खन्ना की एण्टी रोमियो टीम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों/कस्बो, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों आदि के आस-पास मिशन शक्ति एवं शक्ति दीदी अभियान के अन्तर्गत महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक किया गया।

अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं के लिए समर्पित विभिन्न सेवाओं/हेल्पलाईन नम्बरों (ट्वीटर सेवा, डॉयल-112, हेल्प लाइन-181, वुमेन पावर लाइन-1090, चाइल्ड हेल्प लाइन-1098, सी0एम0 हेल्पलाइन-1076, वन स्टॉप सेन्टर-181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन-102, एंबुलेंस सेवा-108 आदि) तथा जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने पर महिला हेल्प डेस्क आदि के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए पंपलेट आदि के माध्यम से जागरुक किया गया तथा महिला केन्द्रित विभिन्न सरकारी योजनाओँ (निराश्रित महिला पेंशन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, आयुष्मान योजना, महिला शक्ति केन्द्र योजना आदि) के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरुक किया गया।

- **अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा अपर जिलाधिकारी महोबा के साथ थाना चरखारी क्षेत्र में पैदल गस्त कर आगामी त्यौहार मोहर्रम के दृष्टिगत थाना चरखारी क्षेत्र में निकलने वाले दुलदुल (घोड़ा) जुलूस के मार्गो का किया गया निरीक्षण**
- **जुलूस को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्बन्धित को दिये आवश्यक निर्देश।**
- **पैदल गस्त के दौरान जुलूस कमेटी के सदस्यों, आमजन व व्यापारियों से संवाद कर सुरक्षा का दिलाया गया भरोसा।**

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह द्वारा आगामी पर्व मोहर्रम के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु आज दिनांक 01.07.2025 को थाना चरखारी क्षेत्र में संवेदनशील, मिश्रित एंव घनी आबादी वाले स्थानों पर अपर जिलाधिकारी महोबा, श्री रामप्रकाश व क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री रविकान्त गोड़ सहित भारी पुलिस बल के साथ पैदल गस्त कर आगामी त्यौहार मोहर्रम पर निकलने वाले दुलदुल (घोड़ा) जुलूस के प्रस्तावित मार्गों का निरीक्षण किया गया तथा जूलूस को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्बन्धित को आयोजन स्थल व जुलूस के मार्गों पर व्यापक पुलिस प्रबंधन करते हुये सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पैदल गस्त के दौरान जुलूस कमेटी के सदस्यों, आमजन व व्यापारियों से संवाद कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि मोहर्रम का पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो, इसके लिए पुलिस-प्रशासन पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और प्रत्येक स्तर पर सुरक्षा तैयारियां चाक-चौबंद हों इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रशासनिक और राजस्व तंत्र के साथ पूर्ण समन्वय स्थापित कर पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था को बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 01.07.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना पनवाड़ी पुलिस टीम ने बच्ची का यौन उत्पीडन करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

थाना पनवाड़ी क्षेत्रअन्तर्गत बच्ची के साथ एक वृद्ध पुरुष द्वारा यौन उत्पीडन किये जाने की घटना का पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया जिसके क्रम में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पनवाड़ी में मु0अ0सं0 –136/2025 धारा –65(2)/115(2)/351(2) बीएनएस व 5(M)/6 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुए सम्बन्धित पीडिता का मेडिकल परीक्षण एवं बयान दर्ज कराते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित की गयी। घटना से सम्बन्धित नामित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्र0नि0 पनवाड़ी श्री गुलाब त्रिपाठी के नेतृत्व में गठित की गयी पुलिस टीम ने आज दिनांक- 01.07.2025 को मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त करीम मंसूरी पुत्र हल्कू मंसूरी उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम महुआ इटौरा थाना पनवाड़ी जिला महोबा को थानाक्षेत्र अन्तर्गत प्राथमिक पाठशाला महुआ के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी के उपरान्त जेल भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

करीम मंसूरी पुत्र हल्कू मंसूरी उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम महुआ इटौरा थाना पनवाड़ी जिला महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक श्री गुलाब त्रिपाठी, प्र0नि0 थाना पनवाड़ी
2. व0उ0नि0 महेन्द्र सिंह वर्मा 3. उ0नि0 रामकिशन यादव
4. कां0 राममिलन सिंह 5. कां0 रवि यादव

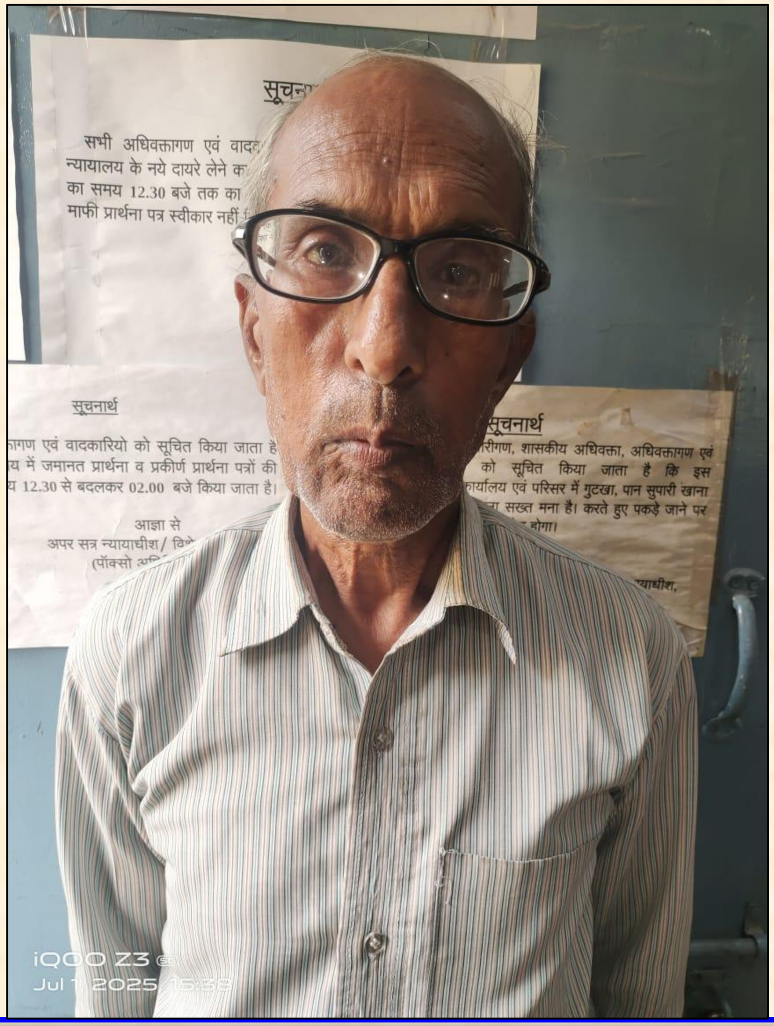

MAHOBA POLICE

Meticulous Investigation & Prosecution

मारपीट, गालीगलौज एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय ने दोषसिद्ध घोषित करते हुए दण्डित किया है...।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत जनपद महोबा में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप जेएम कार्ट कुलपहाड़ महोबा द्वारा मारपीट, गालीगलौज एवं जान से मारने की धमकी दिए जाने से सम्बन्धित आरोपी 02 अभियुक्तों को दोषसिद्ध घोषित करते हुए प्रत्येक को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500-1500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना कुलपहाड़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 151/2011 धारा- 323/504/506 भादवि से सम्बंधित आरोपी 02 अभियुक्तों क्रमश: 1.कल्लू पुत्र हिन्दूपत 2.हिन्दूपत पुत्र रामचरन निवासीगण ग्राम लाडपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500-1500 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

महमूदुर रहमान,
सहायक अभियोजन अधिकारी

कां. राहुल,
पैरोकार थाना कुलपहाड़